संख्या : 1354/IV(2)–श0वि0–08–549(सा0)/04

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2: देहरादूनः दिनांक–03 दिसम्बर, 2008

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अवस्थापना विकास निधि से वर्ष–2008–09 में नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के अन्तर्गत शापिंग काम्पलैक्स एवं टैक्सी स्टैण्ड के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन रू0–801.57 लाख की लागत के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0–786.45 लाख की संस्तुति दी है।

2– उक्त कार्य हेतु पूर्व में मूल परियोजना लागत के सापेक्ष रू0 210.00 लाख का हडको से ऋण लिया गया था एवं शेष लागत को पालिका द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाना था। निर्माण के समय व लागत में वृद्धि के कारण प्रस्तुत उपरोक्त संशोधित आगणन रू0 801.57 लाख के सम्बन्ध में निदेशक शहरी विकास निदेशालय के पत्र संख्या 934/श0वि0नि0–लेखा–परियो0/2008 दिनांक 20–9–2008 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में रू0 250.00 लाख अवमुक्त करने तथा शेष धनराशि नगर पालिका द्वारा अपने श्रोतों से वहन करने की संस्तुति की गयी है।

3– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा रू0 250.00 लाख दिये जाने की घोषणा के क्रम में रू0 250.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर लिया जायेगा।

3. हुडको से ऋण एवं ब्याज वापसी का Schedule पुनरीक्षित कराया जाय तथा पुर्नभुगतान तिथि इस प्रकार नियत कराई जाय कि या तो वह परियोजना पूर्ण होने पर प्रारम्भ हो अथवा पालिका पर इस हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो परन्तु नियमित वापसी सुनिश्चित की जाय तथा इसमें त्रुटि न हो।

4. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के अतिरिक्त उक्त परियोजना के सापेक्ष शेष धनराशि का वहन नगर पालिका परिषद द्वारा अपने श्रोतों से किया जायेगा। पालिका द्वारा काम्पलेक्स में निर्माणाधीन दुकानें/वाणिज्यिक रूप से उपयोग किये जाने वाले स्थान का आबंटन पारदर्शी माध्यम से प्रीमियम आधार पर करते हुए वित्तीय संसाधन समयबद्ध रूप से जुटाने अथवा परियोजना को पी0पी0पी0 माध्यम से पूर्ण करने की कार्यवाही की जाये।

5. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यो पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।

7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

9. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

10. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

11. निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त

की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

13. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।

14. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये, जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

15. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

16. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

17. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो.नि.वि. के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

18. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

19. उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

20. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

21. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

22. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण देने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2009 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

23. पालिका प्रतिवर्ष देय गारन्टी शुल्क राजकोष में जमा करें।

24. राज्य सरकार से इस परियोजना हेतु भविष्य में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

4– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 71/XXVII(2)/2008, दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :1351(1)/IV(2)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल
6. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. घोषणा अनुभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या 132/XXXV–4–25/2008 घो0/2008 दिनांक 1–7–2008 के क्रम में सूचनार्थ।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
11. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
अपर सचिव।